



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 ज्येष्ठ, 1943 (श०)

संख्या- 304 राँची, सोमवार,

14 जून, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

27 मई, 2021

संख्या-5/आरोप-1-15/2021-5776 (HRMS)--श्री शशिभूषण वर्मा, झा०प्र०से० (4th Batch), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, सरिया के विरुद्ध उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-632/रा०, दिनांक 12.03.2021 द्वारा सरिया मौजा के बड़की सरिया के गैरमजरूआ खाता सो- 200,200/437, 200/1860 एवं 201 के विभिन्न प्लॉट/रकबा को अलग अलग तिथियों में online कर सरकारी भूमि का अवैध रूप से नामांतरण करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

2. श्री वर्मा के विरुद्ध प्रतिवेदित गंभीर आरोपों के आलोक में उन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

3. निलंबन अवधि में श्री वर्मा का मुख्यालय- प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया जाता है तथा उक्त अवधि में श्री वर्मा को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	SHASHI BHUSHAN VERMA (110063186541)	श्री शशिभूषण वर्मा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी अंचल अधिकारी, सरिया को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।	27/05/2021

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
